

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6120/2026
CNR: RJHC020374242026 | URN: CRLMB / 10938U / 2026

Shiv Sinha S/o Sunil Sinha, Aged About 34 Years, R/o Kb-34,
Jagarnath Puram Panduki Neyat Tata Motors, Police Station
Barwa Adda District Dhanbad (Jharkhand), At Present In District
Jail, Deeg.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh, P.P. Mr. Pushpendra Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त **शिव सिन्हा** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**08.04.2026** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे पुलिस थाना **गोपालगढ़, जिला डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**13/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **318(4) एवं 316(2)** भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 25.02.2026 से अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है,

प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के योग्य अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी दिनांक-25.02.2026 से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण प्रथम वर्ग, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000-25,000/-रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **शिव सिन्हा पुत्र श्री सुनील सिन्हा** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J